सॅख्या .....

प्रेषक,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः .....

विषयः **''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 5.1.7 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन के सम्बन्ध में**

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78–1–2017–25/2012 दिनॉक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016'' को अवक्रमित करती है।

2 ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' के प्रस्तर संख्या **संख्या 5.1.7 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन** में निम्नवत् व्यवस्था हैः–

- शोध एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए,घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा सहित, वास्तविक फाइलिंग लागत की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

3 उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः–

3.1 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन का विवरण

3.1.1 यह प्रोत्साहन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पेटेन्ट्स फाइलिंग करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।
3.1.2 पात्र इकाइयों को यह प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति के लिए यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, कार्यदायी संस्था होगी।

3.1.3 इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक वास्तविक पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

3.1.4 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

3.2 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

3.2.1 यह प्रोत्साहन पात्र इकाईयों को केस–टू–केस आधार पर परीक्षण उपरान्त प्रदान किया जायेगा। पात्र इकाई द्वारा पेटेन्ट्स हेतु सम्बन्धित संस्था को आवेदन करने और उसके लिए पेटेन्ट् फाइलिंग जमा कर दिये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था को सूचित किया जायेगा।

3.2.2 पेटेन्ट्स फाइलिंग/प्रॉसीक्यूशन ऑफ पेटेन्ट एप्लीकेशन हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाई द्वारा **अनुलग्नक–अ** पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (**अनुलग्नक–ब**) पर प्रस्तुत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक हैं :–

3.2.2.1 पेटेन्ट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति

3.2.2.2 स्वच्छ सूचकों (labels) के साथ विशिष्टियों (specifications)/ विन्यास (drawings)/चित्र (designs)

3.2.2.3 ISO/ISI प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति (यदि हो तो)

3.2.2.4 पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण (इन्वॉयस और रसीदों की सत्यापित प्रति सहित)

3.2.2.5 संयंत्र/उपकरणों/सॉफ्टवेयर/अन्य उपयुक्त निवेश के प्रमाण–स्वरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र

3.2.2.6 आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक का शपथ–पत्र

3.2.2.7 आवेदक द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति–2017 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/छूट का अद्यतन विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण–पत्र सहित

3.3 प्रोत्साहन की स्वीकृति की प्रक्रिया

3.3.1 कार्यदायी संस्था द्वारा, इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा–सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

3.3.2 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/ विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

3.3.3 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को पेटेन्ट्स फाइलिंग प्रोत्साहन अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था

की संस्तुति अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी।

3.3.4 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा और तद्विषयक उपयुक्त आदेश निर्गत किया जायेगा।

3.4 प्रोत्साहन अवधि

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, अनुदान अनुमन्य होगा।

3.5 पात्र इकाई के दायित्व

पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति के लिए पात्र इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो कार्यदायी संस्था के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

3.6 आच्छादन

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3.7 परिभाषायें

एतद्द्वारा संलग्न, **परिशिष्ट–1** के अनुसार

3.8 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

3.9 प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

आवेदक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू–राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

भवदीय,

संलग्नकः यथा उपरोक्त

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या ..../तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन
2 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0
4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
5 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन
6 अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
7 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
8 अपर मुख्य सचिव, स्टैम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन
9 अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन
10 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
11 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ
12 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश
13 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन
14 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ
15 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(.....)
.....

अनुलग्नक–अ
(सन्दर्भ प्रस्तर 3.3.2)

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र
(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

कार्यदायी संस्था (यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड)
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन–पत्र (**अनुलग्नक–ब**) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सहीं हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

अनुलग्नक–ब

(सन्दर्भ प्रस्तर 3.2.2)

उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2017 के अन्तर्गत पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

1	इकाई का विवरण				
(क)	नाम				
(ख)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझीदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम				
(ग)	इकाई का पता				
(घ)	दूरभाष नं0				
(च)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नॅ0				
(छ)	फैक्स नॅ0				
(ज)	ई–मेल				
(झ)	वेबसाइट				
(ट)	पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या				
(ठ)	वस्तु एवं सेवाकर पॅजीयन सं0				
(ड)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं0 (PAN)				
(ढ)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली	☐	साझेदारी	☐
		प्राइवेट लिमिटेड	☐	सहकारी	☐
		सार्वजनिक	☐	समिति	☐
(त)	कर्मचारियों की संख्या				
(थ)	व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि				
(द)	कार्यक्षेत्र				
2	पेटेन्ट पॅजीयन का विवरण				
(क)	आविष्कार की संज्ञा				
(ख)	आविष्कार के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी				
(ग)	आविष्कार का कार्य–क्षेत्र / व्यापकता / विषय–क्षेत्र				
(घ)	पेटेन्ट पॅजीयन हेतु आवेदन की तिथि				
(च)	पेटेन्ट पंजीयन प्रदान करने वाली संस्था का नाम, पता व दूरभाष सं / ई–मेल				
(छ)	पेटेन्ट पंजीयन क्रमॉक एवं पेटेन्ट प्रदान किये जाने की तिथि				
(झ)	आविष्कार के लाभ				
(झ)	पेटेन्ट पंजीयन की कुल लागत				
(ट)	योजना के अन्तर्गत आवेदित प्रोत्साहन राशि				
3	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख				
(क)	पेटेन्ट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति				

(ख)	स्वच्छ सूचकों (labels) के साथ विशिष्टियॉ (specifications)/ विन्यास (drawings) / चित्र (designs)			
(ग)	ISO/ISI प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति (यदि हों त)ो			
(घ)	पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण (इनवॉयस और रसीदों की सत्यापित प्रति सहित) (**अनुलग्नक–स** प्रारूप पर)			
(च)	संयंत्र/उपकरणों/सॉफ्टवेयर एवं अन्य निवेश के प्रमाण– स्वरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र (मूल रूप में **अनुलग्नक–द** प्रारूप पर)			
(छ)	आवेदक इकाई के स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ–पत्र (मूल रूप में **अनुलग्नक–य** प्रारूप पर)			
(ट)	आवेदक द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/ छूट का अद्यतन विवरण	प्रोत्साहन/छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक–स
(सन्दर्भ अनुलग्नक ब का (घ))

पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण

आवेदक – सर्वश्री ..... के पॅजीकृत कार्यालय .... तथा कार्यस्थल .....पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के अनुसार आवेदक द्वारा उसके आविष्कार के लिए प्रमाणन–अभिकरण/संस्था से पेटेन्ट पॅजीयन प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के सम्बन्ध में कुल धनराशि रू ..... (रूपये .....) मात्र का व्यय हुआ है। उक्त व्ययों का मदवार विवरण निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	व्यय का विवरण	प्रमाणन–अभिकरण/संस्था	धनराशि (रू)*	अभ्युक्ति
1	पेटेन्ट कार्यालय शुल्क आवेदन शुल्क (भारत/ विदेश) प्रायर आर्ट सर्च शुल्क परीक्षा हेतु अनुरोध शुल्क वार्षिक शुल्क			
2	अटार्नी ड्राफ्टिंग शुल्क			
3	परामर्श शुल्क			
		योग		

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर एवं मुहर

* पेटेन्ट पंजीयन से सम्बन्धित व्ययों के उक्त विवरण इनवॉयस और रसीदों की सत्यापित प्रति से समर्थित होने आवश्यक हैं।

अनुलग्नक–द
(सन्दर्भ अनुलग्नक ब का (च))

सॅयन्त्र/उपकरणों/सॉफ्टवेयर एवं अन्य निवेश के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेटर हेड पर)

संख्याः दिनॉक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतद्द्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री ..... के पॅजीकृत कार्यालय ..... तथा कार्यस्थल..... .....पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों के अनुसार, पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति के दिनॉक अर्थात् उससे पिछली 31 मार्च की तिथि को सॅयन्त्र/ उपकरणों/सॉफ्टवेयर एवं अन्य निवेश पर (उनके मूल क्रय–मूल्य के अनुसार) कुल निवेश रू ..... (रूपये .....) था।

स्थानः
तिथिः हस्ताक्षर एवं मुहर

अनुलग्नक–स

शपथ–पत्र

मैं .....(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री ..... निवासी ..... – शपथी एतद्द्वारा स–शपथ निम्नवत् बयान करता हूँ:–

1 यह कि शपथी सर्वश्री ..... (नाम) जिसका पॅजीकृत कार्यालय .....(पता) एवॅ कार्यस्थल ....(पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/आविष्कारक* है।

2 यह कि सर्वश्री ..... द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2017 में विहित व्यवस्थानुसार, पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 यह कि स्टार्ट–अप्स की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/ कम्पनी/प्रतिष्ठान* – सर्वश्री ..... एक स्टार्ट–अप फर्म है तथा पेटेन्ट कार्यालय द्वारा पेटेन्ट संख्या..... दिनॉक..... प्रदान किये जाते समय कार्यरत* थी तथा फर्म/कम्पनी/ प्रतिष्ठान निरन्तर कार्यरत रही है।

4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान के पॅजीकृत कार्यालय तथा कार्यस्थल पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों के अनुसार, पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति के दिनॉक अर्थात् उससे पिछली 31 मार्च की तिथि को सॅयन्त्र/ उपकरणों/सॉफ्टवेयर एवं अन्य निवेश पर (उनके मूल क्रय–मूल्य के अनुसार) कुल निवेश रू ..... (रूपये .....) था जिसके सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण–पत्र संख्या ..... दिनॉक .....आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

5 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति* प्राप्त नहीं की गई है।

अथवा

5 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/ वित्तीय संस्थान* को पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/ प्रतिपूर्ति* के लिए दावा किया गया था और रू ..... (रूपये ....) .....(बैंक) के चेक/ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति* के रूप में प्राप्त किया गया है।

अथवा

5 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान* के समक्ष पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/ प्रतिपूर्ति* के लिए पूर्व में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अथवा

5 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान* के समक्ष आवेदन–पत्र दिनॉक द्वारा ..... पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/ उपादान/प्रतिपूर्ति* के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

6 यह कि यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* को कोई पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है तो इस तथ्य की उद्घोषणा मैं आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान* इत्यादि द्वारा संचालित इसी प्रकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति का दावा करते समय करुॅगा।

7 यह कि शपथी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से वचन देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का भुगतान लिखित मॉग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की भॉति कर ले।

स्थान
तिथि शपथी

सत्यापन

मैं शपथी उपरोक्त एतद्द्वारा सत्यापित करता हूॅ कि इस शपथ–पत्र की धारा 1 लगायत 5 में निहित कथ्य मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही हैं तथा धारा 6 व 7 में निहित कथ्य के सत्य होने का शपथी को विश्वास है।

आज दिनॉक .....को .....(स्थान) पर अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया

स्थान
तिथि शपथी

टिप्पणी * जो लागू न हो उसे काट दें।

(शपथ–पत्र रू 20/– के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए)

परिशिष्ट–1

(सन्दर्भः शासनादेश सॅख्या ..... दिनॉक .....)

1 (अ) ''नई इकाई'' का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली प्रोपराइटरशिप फर्म्स, कम्पनियों, समितियों एवं साझेदारी वाली नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

(ब) ''एम.एस.एम.ई.(MSME) सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग'' का तात्पर्य ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों से है जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

2 ''कम्पनी'' से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

3 ''सोसायटी'' से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम 1860 के अन्तर्गत किया गया हो।

4 ''पार्टनरशिप'' से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम–1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

5 ''वित्तीय संस्थान'' से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित समस्त बैंकों तथा ऐसे सभी वित्तीय संस्थानों से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है।

6 ''ऋण वितरण की तिथि'' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से किसी वित्तीय संस्था द्वारा पात्र इकाई को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित कार्यों हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी गयी हो।

7 ''वर्ष का तात्पर्य दिनॉक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

8 ''स्थिर पूॅजी निवेश'' का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लान्ट, मशीनरी तथा पूॅजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित सामग्री/सेवा की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को या उसके बाद पड़ती हो।

9 ''व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि'' का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूॅजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

10 ''**सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग**'' के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉ/ कम्पनियॉ इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशेन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से अभिप्राय है बी0पी0ओ0/ के0पी0ओ0/ परामर्शी (consulting)/'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा अन्य ज्ञान उद्योग (knowledge industry)।

11 **सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सन्निहित है, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं** :–

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
- आपरेटिंग सिस्टम – Operating System
- मिडिलवेयर / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
- उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास
- इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना

- प्रणाली का एकीकरण (System Integration)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
- सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवँ Supply Chain Management कार्य
- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)

12 **सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं'** का आशय उन सेवाओं से है जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मूल्य संवर्द्धन करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित हैः–

- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
- ई–मेल सर्विस प्रोवाइडर
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर
- ई–कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज (EDI) सेवायें
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग
- वी–सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप

13 **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं** में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक–आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मैटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल–सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहींः–

- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेण्ट (BPM)
- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई–मेल, हेल्प–डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैक आफिस प्रोसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट द्वारा)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया – इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)

- अनुवाद (Translation) , नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषयः–
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
  - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
  - सी0आर0एम0 – ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
  - एम0आर0एम0 – (Marekting Resources Management)
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटा प्रोसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स
- काल सेन्टर्स
  - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
  - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)
- '**रिमोट द्वारा**' का तात्पर्य इन्टरनेट/दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं की उपलब्धता से है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें जो उपर्युक्त में सम्मिलित नही हैं, भी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सम्मिलित की जा सकेंगी।

14 ''व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि'' का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

15 ''जमा की गई जी.एस.टी.'' एवं ''जी.एस.टी.'' का तात्पर्य सम्बन्धित इकाई द्वारा यथास्थिति, किसी त्रैमास अथवा वित्तीय वर्ष में जमा किए गये नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से है।

16 ''नोडल एजेन्सी/कार्यदायी संस्था'' का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017'' के अन्तर्गत नामित नोडल एजेन्सी/कार्यदायी संस्था से है।

17 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2017 के प्रस्तर 7 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

18 निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति करने वाली किसी संस्था (entity) को स्टार्ट–अप (Start-Up) के रूप में स्वीकार किया जायेगाः–

- संस्था (entity) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो
- स्टार्ट–अप्स को पारिभाषित करते हुए समय–समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 501 (ई) दिनॉक 23 मई 2017 में **भारत सरकार द्वारा दी गई परिभाषा** के नियमों एवं शर्तों को संस्था (entity) पूरा करती हो।

  टिप्पणी: कोई अन्य शर्त, जैसाकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाये।

19 **आवरण पत्र** : ''आवरण पत्र'' का तात्पर्य इस शासनादेश के साथ **अनुलग्नक 'अ'** पर उपलब्ध प्रारूप पर लिखे गये आवरण–पत्र से है।

20 **आच्छादन** : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

21 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार** : किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।